रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
(पूर्व नाम जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर)

क्रमांक/स्था./2020/334 जबलपुर, दिनांकः 14/03/2020

आदेश

उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल द्वारा जारी आदेश क्रमांक 249/68/सी.सी. /38/20 दिनांक 13/03/2020 के परिपालन एवं नोविल कोरोना वाइरस व उससे जनित बीमारी के संकमण से बचाव हेतु एवं विश्वविद्यालय में एक स्थान पर विद्यार्थियों के एक समूह में एकत्रित/उपस्थित होने के परिणाम स्वरूप उक्त बीमारी के रोकथाम करने के उददेश्य से एहतियात के रूप में विश्वविद्यालय द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:-

1. विश्वविद्यालय की शैक्षणिक विभागों में शिक्षण कार्य आगामी आदेश तक स्थगित रहेगा।
2. विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों में संचालित वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षाओं का आयोजन यथावत पूर्व निर्धारित कार्यकम के अनुसार ही किया जावेगा।
3. विश्वविद्यालय स्तर पर सामूहिक गतिविधियॉ जैसे कीड़ा गतिविधियॉ, सांस्कृतिक गतिविधियॉ, सेमिनार एवं कार्यशाला इत्यादि सामूहिक गतिविधियों का संचालन आगामी आदेश तक स्थगित रहेगा।
4. विश्वविद्यालय में समस्त शैक्षणिक/गैर-शैक्षणिक स्टॉफ संस्था में उपस्थित रहकर यथावत विश्वविद्यालयीन/परीक्षा कार्य संपादित करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा एवं आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। आदेश में वर्णित उपरोक्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

आदेशानुसार,
कुलसचिव 14.3.2020
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर

पृ.क्र/स्था./2020/334(अ) जबलपुर, दिनांकः 14/03/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव,उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल ।
2. संभागायुक्त महोदय, जबलपुर संभाग, जबलपुर ।
3. जिलाध्यक्ष महोदय, जिला जबलपुर ।
4. पुलिस अधीक्षक महोदय,जबलपुर।
5. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा जबलपुर संभाग,जबलपुर।
6. कुलपति जी/कुलसचिव जी के निज सहायक रा.दु.वि.वि.जबलपुर ।
7. संपादक महोदय............................जबलपुर को इस अनुरोध के साथ कि वे उपरोक्त आदेश को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के आगामी अंक में प्रमुखता से प्रकाशित करें।

14/3/2020
सहायक कुलसचिव (स्थापना)
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,जबलपुर
जबलपुर

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

RANI DURGAVATI VISHWAVIDYALAYA, JABALPUR (M.P.)

(Formerly, University of Jabalpur)

(NAAC Accredited 'B' Grade University)

Website : www.rdunijbpin.nic.in
e-mail : rdvvcc1@rediffmail.com

14 मार्च, 2020

आदेश

म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्र. 249/68/सीसी/38/20 दिनांक 13.03.2020 के अनुसार नोवेल कोरोना वायरस व उससे जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु देवेन्द्र पुरुष छात्रावास में एक स्थान पर विद्यार्थियों के समूह में उपस्थित होने के परिणामस्वरूप उक्त बीमारी के संभावित खतरे की रोकथाम करने के उद्देश्य से एहतियात के रूप में समस्त छात्रों को सूचित किया जाता है कि जिन छात्रों की परीक्षाएं चल रही हैं वे ही छात्र छात्रावास में रह सकते हैं तथा परीक्षाओं के समाप्त होने के पश्चात् वे छात्रावास खाली कर अपने–अपने गृह निवास के लिए प्रस्थान करेंगे। अन्य छात्रावासी छात्र तत्काल प्रभाव से छात्रावास रिक्त कर अपने–अपने गृह निवास के लिए प्रस्थान करें। साथ ही वार्डन एवं अधीक्षक को इसकी लिखित सूचना प्रदान करें।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा एवं आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

आदेशानुसार,

14/03/2020

(प्रो. आर.के. यादव)
वार्डन,
देवेन्द्र पुरुष छात्रावास

प्रतिलिपि सूचनार्थ–

1. मान. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. कलेक्टर महोदय, जिला–जबलपुर।
3. पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला–जबलपुर।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, जबलपुर संभाग, जबलपुर ।
5. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
6. मान. कुलपति जी के निज सहायक, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
7. कुलसचिव जी के निज सहायक, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।

14.03.2020

(प्रो. आर.के. यादव)
वार्डन

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)
RANI DURGAVATI VISHWAVIDYALAYA, JABALPUR (M.P.)
(Formerly, University of Jabalpur)
(NAAC Accredited 'B' Grade University)

Website : www.rdunijbpin.nic.in
e-mail : rdvvcc1@rediffmail.com

14 मार्च, 2020

आदेश

म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्र. 249/68/सीसी/38/20 दिनांक 13.03.2020 के अनुसार नोवेल कोरोना वायरस व उससे जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु एक स्थान पर विद्यार्थियों के समूह में उपस्थित होने के परिणामस्वरूप उक्त बीमारी के संभावित खतरे की रोकथाम करने के उद्देश्य से एहतियात के रूप में कस्तूरबा महिला छात्रावास की समस्त छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिन छात्राओं की परीक्षाएं चल रही हैं वे ही छात्रावास में रह सकती हैं तथा परीक्षाओं के समाप्त होने के पश्चात् वे छात्रावास खाली कर अपने–अपने गृह निवास के लिए प्रस्थान करेंगी। अन्य छात्रावासी छात्राएं तत्काल प्रभाव से छात्रावास रिक्त कर अपने–अपने गृह निवास के लिए प्रस्थान करें। साथ ही वार्डन एवं अधीक्षिका को इसकी लिखित सूचना प्रदान करें।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा एवं आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

आदेशानुसार,

(डॉ. राजेश्वरी राणा)
वार्डन,
कस्तूरबा महिला छात्रावास

प्रतिलिपि सूचनार्थ–

1. मान. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. कलेक्टर महोदय, जिला–जबलपुर।
3. पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला–जबलपुर।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, जबलपुर संभाग, जबलपुर ।
5. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
6. मान. कुलपति जी के निज सहायक, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
7. कुलसचिव जी के निज सहायक, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।

(डॉ. राजेश्वरी राणा)
वार्डन